



**कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)**  
**KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL (UTTARAKHAND)**

विज्ञापन संख्या – सामान्य/पीईआर/नियुक्ति/2023/1203	दिनांक: 08-02-2023
विज्ञापन प्रकाशन की तिथि –	08-02-2023
ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ तिथि	13-02-2023
ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि	15-03-2023

कुमाऊँ विश्वविद्यालय शिक्षणेत्तर (Non-Teaching) पदों पर भर्ती के लिए सुसंगत योग्यता/कार्यानुभव रखने वाले अभ्यर्थियों से विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन, नैनीताल एवं डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल/भीमताल में विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं। पात्र और इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय वैबसाईट पर दिनांक: 15 मार्च, 2023 तक ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं।

1	रिक्त पदों की संख्या, पदनाम, श्रेणी, वेतनमान, शैक्षिक योग्यता एवं परीक्षा सम्बन्धी विवरण हेतु परिशिष्ट-1 देखें।
2	<b>राष्ट्रीयता –</b> वह भारत का नागरिक हो।
3	<b>चरित्र –</b> भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र सरकारी सेवा हेतु सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लिया जायेगा। अभ्यर्थी को यथास्थिति उस विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या स्कूल के, जिसमें उसने अन्तिम बार शिक्षा प्राप्त की थी, प्रधान अधिकारी और दो प्रतिष्ठित जिम्मेदार व्यक्तियों से जो अभ्यर्थी के नातेदार न हों, मगर उसके निजी जीवन से सुपरिचित हों, को उत्तम चरित्र का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। टिप्पणी – भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या केन्द्रीय अथवा किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रित संस्थान से बर्खारस्त अभ्यर्थी संस्थान में चयन के लिये अनहूं होंगे। ऐसे व्यक्ति भी अयोग्य होंगे, जो ऐसे अपराध में दोष सिद्ध हुए हों, जिसमें नैतिक अद्यमता समिलित है।
4	<b>शारीरिक स्वस्थ्यता –</b> किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय सेवाओं में नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ्य नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक निर्वहन करने में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति से पूर्व वित्तीय हस्तपुरितिका खण्ड—एक भाग—दो के अध्याय – तीन में समाविष्ट मूल नियम—10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थ्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।
5	<b>वैवाहिक प्रास्थिति –</b> विश्वविद्यालय में भर्ती के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक जीवित पत्नी हो।
6	<b>आरक्षण –</b> उत्तराखण्ड शासन के वर्तमान में प्रभावी आरक्षण लागू होंगे।
7	<b>आयु सीमा –</b> (1) आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष से अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित हैं। सेवा में किसी भी पद पर भर्ती हेतु दिनांक 01 जनवरी, 2023 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम आयु 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (2) अधिकतम आयु सीमा में छूट : (क) शा०सं०-1399/XXX(2)/2005 दिनांक 21 मई 2005 के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। (3) उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग/निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 10 वर्ष तथा उत्तराखण्ड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम् आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। (शा०सं०-1244/XXX(2)/2005 दिनांक 21 मई 2005)
8	<b>निवास अर्हता हेतु</b> उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो, परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अद्वशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाएं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री राज्याधीन सेवाओं में समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। राज्य के स्थायी निवासी जो उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हों तथा उनके पुत्र/पुत्री भी समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पत्र होंगे।

( ) ✓

<b>9</b>	<b>शुल्क –</b>	सामान्य श्रेणी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु ₹0 500.00, अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु ₹0 300.00 शुल्क ऑन लाईन माध्यम से देय होगा। प्रत्येक पद के लिए शुल्क पृथक्-पृथक् लिया जायेगा। प्राप्त शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।
----------	----------------	--

### 10. आवेदन पत्र भरने हेतु अनुदेश –

1. अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हों कि वे पात्रता सम्बन्धी सभी शर्तें पूरी करते हैं। परीक्षा में सम्मिलित होने मात्र से यह नहीं माना जायेगा कि अभ्यर्थी आवश्यक निर्धारित अर्हता प्राप्त करते हैं। कोई सूचना अंकित न करने पर उसके उपरान्त लाभ देय नहीं होगा तथा सुस्पष्ट आवेदन न करने की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है।
2. किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, तो आवेदन-पत्र के सम्बन्धित स्तम्भ में अपनी श्रेणी/श्रेणियों/उपश्रेणियों (एक या एक से अधिक जो भी हो) को अवश्य अंकित करें, अन्यथा वे अनारक्षित (सामान्य) अभ्यर्थी समझे जायेंगे और उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
3. आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिये जाने के उपरान्त अर्हता, आरक्षण श्रेणी/उपश्रेणी व आयु आदि में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

### 11. सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश –

1. किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को जिनकी प्रमाण-पत्र के आधार पर पुष्ट नहीं की जा सकती, ऐसे तथ्य देने पर उसके विरुद्ध आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।
2. एक से अधिक पद पर आवेदन करने हेतु प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा।
3. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को मात्र प्रवेश पत्र जारी किये जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गयी है। यदि भविष्य में किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी चयन की संस्तुति वापस ले ली जाएगी और उसका किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
4. आवेदन पत्र ऑनलाईन माध्यम से ही स्वीकार्य किये जायेंगे। आवेदन पत्र को भरने से पहले अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ संलग्न निर्देशों को अवश्य पढ़ें। अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र में अंकित किये गये विवरण यथा शैक्षिक योग्यता, अनुभव, आरक्षित श्रेणी आदि के लिए प्रमाण पत्र/अंक पत्र संलग्न नहीं किये जाने हैं। अभ्यर्थी के द्वारा अंकित सूचनाओं पर ही उनको अर्ह माना जायेगा। परीक्षा परिणाम निकलने उपरान्त योग्यता सूची में आने वाले अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्रों की जाँच हेतु बुलाया जायेगा व मूल प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरान्त ही अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी। आवेदन पत्र में वांछित अपने समस्त शैक्षिक एवं अन्य (श्रेणी/उप-श्रेणी इत्यादि) प्रमाण पत्र का अंकन आवश्यक रूप से करें। अभ्यर्थी स्पष्ट रूप से विज्ञापन पढ़कर आवेदन पत्र में सही सूचना ही भरें। गलत एवं अस्पष्ट सूचना भरने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा एवं गलत सूचना देने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा एवं उसके खिलाफ विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
5. आवेदन पत्र में दर्शाये गए विवरण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
6. अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने ऑन लाइन आवेदन पत्र, उपस्थिति सूची तथा विश्वविद्यालय के साथ समस्त पत्र व्यवहार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो विश्वविद्यालय उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।
7. हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।
8. अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर हेतु कैलकुलेटर का प्रयोग अनुमन्य नहीं है। परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी द्वारा मोबाइल फोन, पेजर्स अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए पाये जाते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा उन पर भविष्य में आयोजित की जानेवाली सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर मोबाइल

Q -

9. फोन / पेजर्स सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें।
10. कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही अपनी उत्तरपुस्तिका से नकल करवायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा।
11. परीक्षा भवन में आचरण : कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करे तथा परीक्षा हाल में अव्यवस्था न फैलाये तथा परीक्षा के संचालन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान न करे। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा एवं उसका अस्वीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।
12. कदाचार के दोषी पाये गये अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही : अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई असत्य विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति को किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेर बदल नहीं करें तथा न ही वे फेर बदल किया गया जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।
13. अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।
14. नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पूर्व नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। यह कार्यवाही नियुक्ति से पूर्व सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा पृथक से की जाएगी।
15. परीक्षा की तिथि, समय तथा परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में सूचना विश्वविद्यालय वैबसाईट पर दी जायेगी। अभ्यर्थियों को पृथक से सूचना प्रेषित नहीं की जायेगी। प्रवेश पत्र ऑनलाईन ही निर्गत किये जायेंगे। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। अन्तिम चयन तक प्रवेश-पत्र को सुरक्षित रखें एवं मांगने पर प्रस्तुत करें।
16. उम्मीदवार को मात्र प्रवेश पत्र जारी किये जाने का अर्थ यह नहीं है कि उसकी उम्मीदवारी विश्वविद्यालय द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गई है। उम्मीदवार द्वारा अन्तिम चयन सूची में अर्हता प्राप्त करने के बाद ही नियुक्ति अधिकारी/विश्वविद्यालय मूल प्रमाण पत्र के सन्दर्भ में पात्रता शर्तों का सत्यापन कराता है। अन्तिम चयन के उपरान्त भी यदि अभ्यर्थी किसी भी स्तर पर अपात्र पाया जाता है तो उसका अस्वीकरण निरस्त कर दिया जाएगा।
17. अभ्यर्थी अपने भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रखें। आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत किया जाना होगा।
- 12- परीक्षा का पाठ्यक्रम- परिशिष्ट-1 के अनुसार।
- 13- सभी पदों हेतु पद के अनुरूप लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी तथा लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर योग्यता सूची तैयार की जायेगी।
- परीक्षा सम्बन्धित पूर्ण विवरण विश्वविद्यालय की वैबसाईट [www.kunainital.ac.in](http://www.kunainital.ac.in) में उपलब्ध करा दिया जायेगा।



कुलसचिव